(22)

न्यायालय मे राजस्व मंडल मध्यप्रदेश, ~~ग्वालियर~~ सर्किट कोर्ट रीवा म0 प्र0

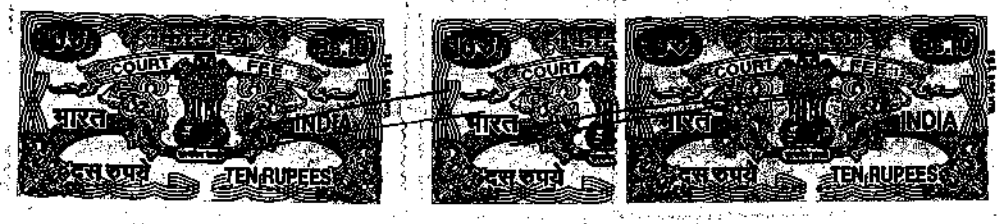

417
28.7.14

R. 2629-II/14

राममिलन गुप्ता पिता जागेश्वर प्रसाद गुप्ता उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम कौडिया तहसील चंदिया जिला उमरिया म0 प्र0

आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

शक्तिप्रकाश पान्डे पिता श्रीकान्त पान्डे उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम कौडिया तहसील चंदिया जिला उमरिया म0 प्र0 अनावेदक / उत्तरदाता

पुनरीक्षण विरूद्व आदेश श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील चंदिया जिला उमरिया म0 प्र0 के रा0 प्र0 क्र0 105 / अ12 / 08--09 आदेश दिनांक 28.4.14 अर्न्तगत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0

...सुनील अग्रवाल एड के द्वारा आज दिनांक 28.7.14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 252
~~रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा~~ आज
दिनांक ______ को प्राप्त
कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर ,

पुनरीक्षण के तथ्य निम्नांकित है :--

यहकि आराजी ख0 नं0 420 रकवा 7.99 एकड ग्राम कौडिया प0 ह0 नं0 22 तहसील चंदिया जिला उमरिया पुनरीक्षणकर्ता की पुस्तैनी भूमि है जिसके भूमिस्वामी व कब्जेदार पुनरीक्षणकर्ता के पिता जागेश्वर प्रसाद पिता रामनाथ बानी थे उक्त आराजी का सीमांकन पुनरीक्षणकर्ता के पिताजी ने जरिये राजस्व प्रकरण क्र0 45 / ए121 / 87--88 निर्णय दिनांक 30.3.1991 के द्वारा विधिवत करवाकर अपनी उक्त आराजी की सीमा मे करीब 100 से अधिक सीमेन्ट के पिलर (खम्भे) सीमा चिन्ह के रूप मे स्थापित करवाये थे जो आज भी उक्त आराजी की सीमा मे स्थापित है तथा अब उक्त आराजी का पुनरीक्षणकर्ता तथा उसके भाइयो के मध्य आपसी हिस्साबाट हो गया है जिससे उक्त आराजी मे बटांकन हो चुका है व आपत्तिकर्ता के नाम उक्त आराजी का अंश रकवा 420 / 5 रकवा 0.646 हे0 राजस्व अभिलेखो मे दर्ज है व आपत्तिकर्ता दिनांक 4.1.2007 को ग्राम पंचायत कौडिया से अनुमति प्राप्त कर उक्त आराजी पर अनावेदक की जानकारी मे राइस मिल हेतु भवन का निर्माण कर आज दिनांक तक राइस मिल संचालित कर विधिवत काबिज है आपत्तिकर्ता की पुस्तैनी आराजी ख0 नं0 420 की उत्तरी सीमा मे चंदिया बिलासपुर पी0 डब्ल्यू0 डी0 रोड है तथा ख0 नं0 419 , 451 की सीमा लगी है , दक्षिण मे ख0 नं0 421 जो कि शासकीय भूमि नाला है व दक्षिण मे ही नाला के बाद ख0 नं0 422 जो कि महेश पिता बालगिरि की भूमि है तथा दक्षिण मे ही नाला व महेश गिरि की भूमि के बाद आवेदक की भूमि ख0 न0 423 है जिसका सीमांकन अनावेदक / उत्तरदाता द्वारा बिना पुनरीक्षणकर्ता या उसके किसी भी भाई को सूचना दिये हुये दिनांक 16.6.13 को करवाया गया है जिस पर पुनरीक्षणकर्ता व उसके भाइयो की पटटे की उक्त आराजी को आवेदक की भूमि ख0 नं0 423 बताकर राजस्व निरीक्षक सर्किल चंदिया द्वारा मनमाने तरीके से नाप की गई है जिस पर पुनरीक्षणकर्ता ने श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील चंदिया जिला उमरिया के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आपत्ति प्रस्तुत की थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 6.12.13 को राजस्व निरीक्षक को मौके पर जाकर स्थल निरीक्षणकर पुनः प्रतिवेदन देने को आदेशित किया गया था व उक्त आदेश के पालन मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 7.12.13 को आदेश भी जारी किया गया था जो कि राजस्व निरीक्षक को दिनांक 9.1.14 को प्राप्त हुआ था किन्तु बिना राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन व पंचनामा प्राप्त किये हुये अनावेदक की

vXXXa BR H-11

राजस्व् मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रामिलन गुप्ता/ शक्ति प्रसाद

प्रकरण कमांक निग0 2629-II/14 जिला –उमरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2/5/16	आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार चंदिया के प्रकरण क0 105/अ–12/08–09/आदेश दिनांक 28–4–14 से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक शक्ति प्रसाद पाण्डे ने ग्राम कारिया की आराजी खसरा न0 423 रकवा 1.064 है0 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । जिसमें सूचना पत्र जारी किया गया, तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थल पर सीमांकन कर प्रतिवेदन तहसीलदार चंदीया को पंचनामा, क्षेत्र पुस्तिका का नक्शा प्लाट तथा सूचना पत्र सहित प्रेषित किया । तहसीलदार के समक्ष आवेदक राममिलन गुप्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की । तहसीलदार ने दिनांक 23–04–2014 को आपत्तिकर्ता के उपस्थित न होने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की तथा अनावेदक के तर्क सुनकर दिनांक 28–04–2014 को आपत्ति पत्र पर आपत्ति का जबाव एवं समस्त दस्तावेजों के अवलोकन करने पर यह पाया कि अनावेदक द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि खसरा नं0 423 का सीमांकन कराया है आपत्तिकर्ता की भूमि खसरा नं0 420/5 है नक्शे में दोनों ही भूमियां अलग–अलग चिनहित है । राजस्व निरीक्षक द्वारा हल्का पटवारी के साथ विधिवत मौके पर सरहदी कृषकों को सूचना देकर उनकी उपस्थिति में सीमांकन किया गया है ।	

राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट लिखा है कि आपत्तिकर्ता राममिलन गुप्ता ने सूचना पत्र में हस्ताक्षर नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि आपत्तिकर्ता को सीमांकन की जानकारी होते हुए भी उसने सीमांकन कार्यवाही में भाग नहीं लिया । अतः तहसीलदार ने आपत्तिकर्ता की आपत्ति निराधार मानते हुए, राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन प्रतिवेदन की पुष्टि की गई । आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि सीमांकन नियमानुसार नहीं हुआ तथा उसकी आपत्ति निरस्त कर सीमांकन की पुष्टि करने में तहसीलदार द्वारा त्रुटि की गई है । आवेदक के आवेदन पत्र तथा तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक उसकी भूमि सर्वे नं0 420 से अनावेदक की भूमि संलग्न नहीं है । अपितु सर्वे नं0 421 शासकीय नाला है तथा नाला के बाद खसरा नं0 422 जो की महेश पिता बालगिरी की भूमि है, नाले तथा महेश गिरी की भूमि के बाद आवेदक की भूमि खसरा नं0 423 है जिसका सीमांकन अनावेदक द्वारा अपनी भूमि बताकर कराया गया । इससे यह स्पष्ट है कि सर्वे नं0 423 की भूमि को स्वयं के स्वामित्व की बता रहा है, परन्तु भूमि स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया है । जबकि तहसीलदार ने सर्वे नं0 423 अनावेदक की भूमि मानते हुए सीमांकन किया है । अतः उक्त स्थिति में निगरानी ग्राहय करने का कोई औचित्य नहीं है । यदि आवेदक चाहे तो अपनी भूमियों के सीमांकन हेतु तहसीलदार को विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है । इसलिये निगरानी ग्राहय करने योग्य न होने से अग्राहय की जाती है ।

सदस्य